संचिका सं०–17 / पेन–44 / 2024 – 502(17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक – 30.04.26

विषय :– **स्व० (डा०) सुधीर कुमार सिंह, भूतपूर्व सेवानिवृत सहायक प्राध्यापक, रेडियोथेरापी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा के दिनांक–30.11.2019 को सेवानिवृत होने तथा दिनांक–16.03.2024 को मृत्यु उपरान्त स्व० (डा०) सिंह की पत्नी, श्रीमती चित्रा सिंह के पक्ष में पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा० सुधीर कुमार सिंह के विरूद्ध दिनांक–10.09.1997 से सेवानिवृति की तिथि–30.11.2019 तक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–377(9) दिनांक–21.05.2024 द्वारा अधिरोपित पूर्ण पेंशन की राशि स्थायी रूप से जब्त करने की शास्ति को विभागीय सकारण आदेश संख्या–748(9) दिनांक–27.08.2024 द्वारा निरस्त किया गया है एवं स्व० (डा०) सिंह को इस आलोच्य अवधि के लिये किसी प्रकार का अनुमानित लाभ अनुमान्य नही होगा का निर्णय लिया गया है।

2. ज्ञातव्य हो की स्व० (डा०) सुधीर कुमार सिंह, भूतपूर्व सेवानिवृत सहायक प्राध्यापक, रेडियोथेरापी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा की सेवानिवृति की तिथि–30.11.2019 है एव इनकी मृत्यु दिनांक–16.03.2024 हो चुकी है।

स्व० (डा०) सिह के दिनांक–10.09.1997 से सेवानिवृति की तिथि–30.11.2019 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक–09.09.1997 तक ही उन्हें सेवा में मानते हुए एवं दिनाक–10.09.1997 से सेवानिवृति की तिथि–30.11.2019 तक की अवधि को मानो वह सेवा में ही नहीं हो, मानते हुए दिनांक–16.03.2024 तक स्व (डा0) सुधीर कुमार सिंह को देय पेंशन/उपदान की स्वीकृति तथा दिनांक–17.03.2024 से पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति स्व० (डा०) सिंह की पत्नी– श्रीमती चित्रा सिंह के पक्ष में प्रदान की जाती है। स्व0 (डा०) सिह पर किसी भी प्रकार का विभागीय बकाया नही है।

3. यह आदेश इस शर्त्त के साथ दिया जा रहा है कि यदि स्व० (डा०) सिंह को अनुमान्य राशि से अधिक अथवा कम का भुगतान हुआ हो तो तद्नुसार उसकी वसूली/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4. इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक :–

(i) पेंशन प्रपत्र – दो प्रतियो में निम्नांकित कागजातों के साथ संलग्न है –

(क) पारिवारिक सदस्यों की सूची

(ख) अभिप्रमाणित फोटो

(ग) हस्ताक्षर का नमूना

(घ) पेंशन/उपदान की गणना तालिका

(ii) महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त कम्प्युटर, विवाह एवं विविध अग्रिम, भूमि क्रय/गृह निर्माण अग्रिम एवं मोटर वाहन/मोटर साईकल/मोटर वाहन मरम्मति अग्रिम संबंधी मांग रहित प्रमाण–पत्र,

(iii) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा प्रदत्त आवासीय मांग रहित प्रमाण–पत्र

(iv) सेवा इतिहास,

(v) प्राचार्य कार्यालय द्वारा निर्गत बकाया रहित प्रमाण–पत्र

कृपया स्व० (डा०) सिंह की पत्नी, श्रीमती चित्रा सिंह के पक्ष में पेंशन/उपदान एवं पारिवारिक पेंशन का प्राधिकार पत्र विभागीय सकारण आदेश संख्या–748(9) दिनांक–27.08.2024 द्वारा लिये गये विभागीय निर्णय के आलोक में जॉचोपरान्त निर्गत करने की कृपा की जाय।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/पेन–44/2024 – 502(17)/स्वा०, पटना, दिनांक– 30.04.26

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद, झारखण्ड/प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्रीमती चित्रा सिंह, पत्नी– स्व० (डा०) सुधीर कुमार सिंह, भूतपूर्व सेवानिवृत सहायक प्राध्यापक, रेडियोथेरापी विभाग, दरभगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, **पत्राचार का पता**–IA, आशीष किरण अपार्टमेन्ट, सहजानन्द कॉलोनी, लुबी सर्कुलर रोड, डाकघर–धनबाद, थाना–धनबाद, जिला–धनबाद, राज्य–झारखण्ड, पिन कोड–826001 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 30/04/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Alam Ji /Pension letter